क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं		जोड़	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
30.	दमन एवं दीव	0.24	0.12	0.12	0.15	0.36	0.27
31.	लक्षद्वीप	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
32.	पाण्डिचेरी	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00
	जोड़	3978.67	2775.14	3137.84	2138.93	7116.51	4914.08

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वेतनमानों हेतु उच्च स्तरीय समिति

*158. **श्री शि.पू. सोरेन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बख्शी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के वरिष्ठ डाक्टरों के नए वेतनमानों के निर्धारण हेतु एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति को सौंपे गए कार्यों और इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(घ) क्या सरकार "एम्स" के अन्य चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सरकार ने के०के० बक्शी समिति द्वारा की गई सिफारिशों सहित सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने दिनांक 21 जनवरी, 1999 के आदेशों के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में विभिन्न संकाय पदों के वेतनमानों और भत्तों के संशोधन के लिए अपनी स्वीकृति सूचित की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ ने वेतनमानों और भत्तों में संशोधन को अस्वीकार कर दिया और वे अपर प्रोफेसर के वेतनमान में संशोधन के साथ के०के० बक्शी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की मांग करते हुए 8 फरवरी, 1999 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सरकार ने यह मामला मंत्रियों के एक समूह को भेजा। मंत्रियों के समूह ने यह समझते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ की वेतनमान के पुनर्निधारण संबंधी मांगें अन्य सदृश संस्थाओं के प्रति स्पर्धात्मक दावों को देखते हुए व्यवहार्य नहीं थीं, दिनांक 22 फरवरी, 1999 को हुई बैठक में निर्णय किया कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के संकाय के वेतनमानों में ऐसा और सुधार करने की संभावना पर विचार करेंगे जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दावों से बचा जा सकेगा बशर्ते संकाय संघ हड़ताल को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाए ताकि मुद्दों के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान किया जा सके। संकाय संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और 25.2.99 को ड्यूटी पर आ गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 को सिविल रिट याचिका पर 3.3.99 को घोषित किए गए अपने अंतिम में आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों पर एक अंतिम निर्णय लेने हेतु 30.6.99 तक का समय दिया है।

(घ) और (ङ) संस्थान के गैर-संकाय स्टाफ को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) वेतनमान में दिए गए हैं।

लीबिया से यूरिया का आयात

*159. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: